भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1493

10 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र

1493. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित देश में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों को चालू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पर्याप्त आयुष सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नए आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए कोई कदम उठाए हैं/उपाय किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): आयुष सिद्धांतों और अभ्यासों के आधार पर एक समग्र वेलनेस मॉडल स्थापित करने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के एक घटक के रूप में आयुष्मान भारत के तहत, आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) के संचालन को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है। एनएएम के तहत, महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों की कुल 12,500 इकाइयों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों में आयुष एचडब्ल्यूसी के रूप में उन्नत करने के लिए अनुमोदित किया गया है। तथापि, 9,108 इकाइयों के लिए सहायता अनुदान जारी किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, अब तक 5527 आयुष एचडब्ल्यूसी कार्यशील कर दिए गए हैं। अनुमोदित और कार्यशील एएचडब्ल्यूसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक-I** पर दी गई है।

(ग) और (घ): सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, महाराष्ट्र सहित देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में पर्याप्त आयुष उपचार सुविधाएं प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की है। हालांकि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, 50 बिस्तरों वाले/30 बिस्तरों वाले/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना, एकल सरकारी आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन और आयुष उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए आयुष

स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों (आयुष एचडब्ल्यूसी) के संचालन हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इस संबंध में, आयुष मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का समर्थन किया है और आयुष उपचार सुविधाओं सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए एसएएपी के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार 2014-15 से अब तक 3343.38 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान जारी किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किए गए सहायता अनुदान की विस्तृत स्थिति **संलग्नक-II** पर दी गई है।

(ङ) और (च): सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, महाराष्ट्र सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष अस्पतालों की स्थापना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। हालाँकि, एनएएम के तहत, 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार एसएएपी के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके पात्र वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा, वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक अपने एसएएपी के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, एनएएम के तहत 108 एकीकृत आयुष अस्पतालों को मंजूरी दी गई है। एनएएम के तहत अनुमोदित एकीकृत आयुष अस्पतालों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **संलग्नक-III** में दी गई है।

*****

संलग्नक-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुमोदित और कार्यशील आयुष एचडब्ल्यूसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति:

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम**	**अनुमोदित आयुष एचडब्ल्यूसी की कुल संख्या**	**अनुमोदित आयुष एचडब्ल्यूसी की कुल संख्या (जीआईए जारी)**	**कार्यशील आयुष एचडब्ल्यूसी**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	6	6	6
2	आंध्र प्रदेश	203	110	126
3	अरुणाचल प्रदेश	89	89	36
4	असम	489	89	106
5	बिहार	388	268	83
6	चंडीगढ़	12	12	5
7	छत्तीसगढ़	400	240	240
8	दिल्ली	0	0	0
9	दादरा व हवेली और दमण व दीव	1	0	0
10	गोवा	74	40	9
11	गुजरात	365	365	231
12	हरियाणा	569	569	365
13	हिमाचल प्रदेश	740	740	240
14	जम्मू-कश्मीर	442	442	317
15	झारखंड	745	267	249
16	कर्नाटक	376	376	176
17	केरल	520	520	208
18	लद्दाख	14	14	0
19	लक्षद्वीप	7	7	7
20	मध्य प्रदेश	762	562	362
21	**महाराष्ट्र**	**390**	**294**	**281**
22	मणिपुर	67	17	14
23	मेघालय	45	45	0
24	मिजोरम	38	38	24
25	नागालैंड	49	49	4
26	ओडिशा	422	250	245
27	पुडुचेरी	4	4	4
28	पंजाब	217	217	0
29	राजस्थान	2019	1000	484
30	सिक्किम	18	18	18
31	तमिलनाडु	650	350	250
32	तेलंगाना	421	421	421
33	त्रिपुरा	84	84	0
34	उत्तर प्रदेश	1034	1034	552
35	उत्तराखंड	300	300	193
36	पश्चिमी बंगाल	540	271	271
कुल		**12500**	**9108**	**5527**

संलग्नक-II

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत, 2014-15 से अब तक जारी सहायता अनुदान की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति:

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम**	**जारी धनराशि (लाख रुपये में)**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	2222.486
2	आंध्र प्रदेश	7578.053
3	अरुणाचल प्रदेश	3831.999
4	असम	9428.148
5	बिहार	6930.799
6	चंडीगढ़	1532.799
7	छत्तीसगढ़	8590.405
8	दादरा व नगर हवेली और दमण व दीव	484.248
9	दिल्ली	726.305
10	गोवा	1554.315
11	गुजरात	9588.321
12	हरियाणा	10672.447
13	हिमाचल प्रदेश	9401.051
14	जम्मू-कश्मीर	12687.725
15	झारखंड	3504.811
16	कर्नाटक	14563.585
17	केरल	13611.839
18	लद्दाख	187.454
19	लक्षद्वीप	1331.600
20	मध्य प्रदेश	25176.602
21	**महाराष्ट्र**	**8439.518**
22	मणिपुर	8227.988
23	मिजोरम	3658.244
24	मेघालय	3256.723
25	नागालैंड	6881.297
26	ओडिशा	8710.175
27	पुडुचेरी	1858.027
28	पंजाब	5091.974
29	राजस्थान	23051.306
30	सिक्किम	3092.426
31	तमिलनाडु	13356.722
32	तेलंगाना	8564.064
33	त्रिपुरा	4348.432
34	उत्तर प्रदेश	70466.346
35	उत्तराखंड	9873.847
36	पश्चिमी बंगाल	11856.334
कुल		**334338.415**

सलंग्नक-III

2014-15 से 2021-22 तक एनएएम के तहत, अनुमोदित एकीकृत आयुष अस्पतालों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या:

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	अनुमोदित एकीकृत आयुष अस्पतालों की संख्या
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	01
2	आंध्र प्रदेश	02
3	असम	02
4	बिहार	01
5	चंडीगढ़	01
6	छत्तीसगढ़	13
7	गोवा	01
8	हरियाणा	01
9	हिमाचल प्रदेश	02
10	जम्मू-कश्मीर	05
11	झारखंड	01
12	कर्नाटक	02
13	केरल	02
14	लक्षद्वीप	01
15	**महाराष्ट्र**	**04**
16	मणिपुर	04
17	मध्य प्रदेश	07
18	मेघालय	02
19	मिजोरम	01
20	नागालैंड	04
21	ओडिशा	03
22	पुडुचेरी	02
23	पंजाब	02
24	राजस्थान	06
25	सिक्किम	01
26	तमिलनाडु	03
27	तेलंगाना	03
28	त्रिपुरा	02
29	उत्तर प्रदेश	24
30	उत्तराखंड	03
31	पश्चिमी बंगाल	02
कुल		**108**